Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पुलिस आयुक्तालय के जयपुर शहर पूर्व की महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में तैनात सहायक पुलिस आयुक्त (उप अधीक्षक पुलिस) को रिश्वत के बदले अस्मत मांगने के आरोप में रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *14 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जयपुर देहात इकाई द्वारा आज रविवार को जयपुर में कार्यवाही करते हुये पुलिस आयुक्तालय, जयपुर शहर पूर्व की महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में तैनात **सहायक पुलिस आयुक्त (उप अधीक्षक पुलिस) कैलाश बोहरा** को परिवादिया से रिश्वत के बदले अस्मत मांगने पर आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. जयपुर देहात इकाई को परिवादिया द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा दर्ज कराये गये तीन प्रकरणों जिनमें से एक उसके साथ हुये बलात्कार का प्रकरण है, का अनुसंधान पुलिस आयुक्तालय, जयपुर शहर पूर्व की महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में तैनात सहायक पुलिस आयुक्त (उप अधीक्षक पुलिस) कैलाश बोहरा आर.पी.एस. द्वारा किया जा रहा है। प्रकरणों के अनुसंधान में पक्ष में कार्यवाही के एवज में आरोपी अनुसंधान अधिकारी द्वारा पहले परिवादिया से पैसों की मांग की गई तथा बार–बार अनुसंधान के लिये बुलाकर अन्ततः रिश्वत के रूप में अस्मत की मांग कर परेशान किया जा रहा था। आरोपी द्वारा परिवादिया को अनावश्यक रूप से कार्यालय समय के बाद भी मिलने के लिये बाध्य किया जाता था।

जिस पर एसीबी की जयपुर देहात इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उनकी टीम** के द्वारा जयपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी कैलाश बोहरा आर.पी.एस., उप अधीक्षक पुलिस महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट, जयपुर शहर पूर्व, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।